एकहि साधे सब सधे

करीब डेढ़ वर्ष पूर्व सम्पन्न आम चुनावों के पूर्व की भारत की राष्ट्रीय और सामाजिक स्थिति को याद करें तो पाते हैं कि पूरी शासन व्यवस्था किसी तरह लंगड़ लंगड़ कर सरक रही थी। साम्यवाद रूपी करैत ने मनमोहन सिंह के दोनों पैर जकड़ रखे थे। लालू, मुलायम, मायावती, जयललिता, अमरसिंह, रामबिलास पासवान, ममता सरीखे लोग आसमान में सवार थें। सरकार का अधिकांश समय इनकी खुशामद में ही बीत जाता था। कृषि उपज के मूल्य बहुत कम होते हुए भी महंगाई का हल्ला सरकार को भयभीत किये हुए था। सरकार डीजल पेट्रोल तक के मूल्य संशोधित नहीं कर पा रही थी। किसान बड़ी मात्रा में आत्महत्या कर रहे थे। भ्रष्टाचार के नये नये कीर्तिमान गढ़े जा रहे थे। साम्प्रदायिकता उफान पर थी। सरकार मुस्लिम संगठनों से दबी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ भी करना सरकार को खतरने में डाल सकता था क्योंकि सरकार के दोनों पैरों को करैत जी ने बांध रखा था जिनके डसते ही सरकार का पतन निश्चित था।

बचते बचाते किसी तरह साढ़े चार वर्ष पूरे हुए कि करैत जी ने सरकार को डस ही लिया। आश्चर्य की बात है कि अडवाणी जी भी वामपंथी करैत के साथ हो लियें । आक्रमण पूरी ताकत से हुआ किन्तु सरकार बच गई। फिर भी नये चुनावों से भी किसी बदलाव की आशा नहीं दिखती थी। मैंने तो यहॉ तक लिख दिया था कि वोट देना ही बेकार है क्योंकि उलट पुलट के बाद भी नागनाथ और सापनाथ के बीच ही विभाजन होना है।

एकाएक मतदान के परिणामों ने सारा वातावरण ही बदल दिया। देश भर में जहॉ भी कोई अच्छा प्रशासक दिखा उसे ही जनता ने समर्थन दे दिया। दलगत दीवारें टूट गई। केन्द्र सरकार में मनमोहन सिंह जी मजबूत हुए तो प्रदेशों में रमण सिंह, शिवराज चौहान, अशोक गहलोत, नितिश कुमार, नरेन्द्र मोदी। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत का ही एक प्रदेश गुजरात धुरन्धर साम्प्रदायिक नरेन्द्र मोदी का अन्ध भक्त बन गया तो दूसरे प्रदेश बिहार में धुरन्धर धर्मनिरपेक्ष समाजवादी नितिश कुमार ने अपना परचम लहरा लिया। बंगाल के बुद्धदेव जी भट्टाचार्य यदि करैत जी की क्षत्रछाया में नहीं होते तो ममता जी आगे नहीं बढ़ पाती। झारखंड में कल के भाजपा से निकले हुए बाबूलाल मरान्डी बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को धमण्ड था कि वही भाजपा का खेवनहार है और भाजपा को भी धमण्ड था कि उसकी नीतियॉ ही उसे आगे बढ़ाती हैं किन्तु चुनाव परिणामों ने सबका धमण्ड चूर चूर कर दिया। छत्तीसगढ़ से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ बीच में है किन्तु छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बिल्कुल अलग परिणाम आये तो उड़ीसा झारखंड यूपी के बिल्कुल अलग। उड़ीसा में संघ साम्प्रदायिकता फैलाते रह गया किन्तु मतदाताओं ने किसी की एक नहीं सुनी। न कोई दल न संगठन। बस एक बात देखी गई कि कौन शालीन है, सामाजिक है, अपेक्षाकृत कम धूर्त है, जिसकी कथनी और करनी में कम फर्क है। वह चाहे किसी दल का हो इससे मतलब नहीं।

साठ वर्षो में पहली बार मतदाताओं ने एक साफ सुथरी दिशा ली और उस दिशा ने भारत की राजनीति को एक साफ सुथरी दिशा दी। बड़बोले करैत जी अब चुपचाप बिल में चले गये थे क्योंकि उनके भरपूर आक्रमण के बाद भी मनमोहन सिंह जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वे विषहीन प्रमाणित हो चुके थें। अडवाणी जी को भी वास्तविकता का ज्ञान हो चुका था। मनमोहनसिंह, चिदम्बरम्, सोनिया स्वतंत्र रूप से बढ़ने लगें। दलों की दीवारे कमजोर हुई। अच्छे मुख्य मंत्रियों से संवाद बढ़ा। जोकर नेता लालू प्रसाद में गंभीरता आनी शुरू हुई। रामबिलास पासवान मुलायम भी महत्व हीन हो गये।

नीतियों के मामले में भी समाजवाद साम्यवाद शब्द इतिहास बनने लगे। संघ परिवार की आक्रामकता बचाव की मुद्रा में हैं। बात बात पर आंख दिखाने वाला संगठित मुसलमान भी शालीनता की दिशा में बढ़ रहा है। बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले प्रकाश में आ रहे हैं। साम्प्रदायिकता का उफान भी घटा है। संगठित श्रम संगठन कमजोर हुए है। तीव्र गति से होते चरित्र पतन की गिरावट कम हुई है। कुल मिलाकर राजनैतिक पतन पर अंकुश लगा है। आर्थिक मामलों में भी परिणाम ठीक दिख रहे हैं और राजनैतिक मामलों में भी। यहॉ तक कि कांग्रेस पार्टी भी संकट में फंसी है क्योंकि इन सबका श्रेय कांग्रेस पार्टी को न जाकर जनता को जा रहा है। आम लोग महसूस कर रहे हैं कि यह सारा बदलाव न कांग्रेस पार्टी का करिश्मा है न मनमोहन सिंह का। यह करिश्मा है डेढ़ वर्ष पूर्व हुए राजनैतिक बदलाव का जिसमें जनता ने योग्यता और चरित्र को पहली बार परख कर वोट दिया। क्योंकि यदि कांग्रेस का जादू चला होता तो छत्तीसगढ़, बिहार, गुंजराज, उड़ीसा आदि में विरोधी दल मजबूत नहीं हो पाते। इतना अवश्य है कि केंन्द्रीय राजनीति में अभी कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष कोई अन्य दल मुकाबले में नहीं है।

मेरा कहने का यह आशय नहीं कि सब कुछ सुधरना शुरू हो गया हैं। डेढ़ वर्ष का समय निष्कर्ष निकालने के लिये पर्याप्त भी नहीं हैं। मेरा तो कहना सिर्फ नहीं है कि कुछ मुद्दों पर सुधार दिखता है और कुछ मुद्दों पर गिरावट की गति कम हुई है। मैंने डेढ़ वर्ष पूर्व सम्पन्न चुनावों के तत्काल बाद ही ऐसा अनुमान ज्ञान तत्व एक सौ अठहत्तर सोलह से तीस जून दो हजार नौ में लिखा भी है। मुझे आत्म संतोष हो रहा है कि मेरा अनुमान सच सिद्ध हो रहा हैं।

वर्तमान राष्ट्रीय घटनाओं के मद्देनजर भविष्य की एक धुंधली तस्वीर उभरती दिख रही है। नीतियों के मामले में सभी दलों का दिवाला पिट चुका है। कांग्रेस पार्टी की तो साठ वर्षो में कभी कोई स्थिर नीति रही ही नहीं। साम्यवादी और समाजवादी श्रमजीवी और गरीब का मुखौटा लगाये हुए थे वह मुखौटा उतर गया है। संघ परिवार भाजपा के नाम पर हिन्दुत्व और उग्रवाद का तालमेल बिठा रहा था किन्तु वह तालमेल भी बिखर गया है क्योंकि आम हिन्दू बहुमत उग्रवाद के विरूद्ध हैं। क्षेत्रीय दल बेचारे इन तीनों के टकराव के बीच किसी तरह उभरने की कोशिश में थे जिनका भविष्य अंधकार मय हो गया है। अब तो तीन व्यक्ति तीन प्रकार की नीतियॉ आगे बढ़ाकर उभर रहे हैं (1) नरेन्द्र मोदी (2) नितिश कुमार (3) मनमोहन सिंह। तीनों ही किसी दल की नीतियों के बंधुआ मजदूर न होकर अपनी स्वतंत्र नीति बना रहे हैं और दल इनकी स्वतंत्रता से तालमेल कर रहा हैं। नरेन्द्र मोदी भाजपा में भी है और संघ के साथ भी किन्तु किसी के अनुशासन से भी बंधे नहीं हैं और नीतियॉ भी स्वतंत्र बनाते हैं। नरेन्द्र मोदी में त्याग और बुद्धि का अच्छा तालमेल है। प्रवृत्ति में तानाशाही भी है और दबंगता भी। समस्याओं का समाधान करने की क्षमता हैं। राजनैतिक शक्ति के केन्द्रीयकरण के पक्षधर हैं। जनहित में लोकतंत्र को तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री बन जावें तो भारत विकास भी तेज करेगा और असुरक्षा, भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, चरित्रपतन से भी मुक्ति मिल जायेगी। खतरा सिर्फ एक ही है कि नरेन्द्र मोदी के बाद लोकतंत्र अर्ध तानाशाही में बदल जायेगा अर्थात् अधिकारों का केन्दीयकरण होने का डर हैं। यदि हम नितिश कुमार की चर्चा करें तो वे एकीकृत जनता दल में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र नीतियॉ बनाते हैं। जनता दल यू वैसे भी लोकतांत्रिक संगठन रहा है जिसकी स्वयं की कोई नीतियॉ नहीं हैं। यहॉ न कोई अनुशासन है न प्रतिबद्धता।

नितिश कुमार में भी त्याग और बुद्धि का तालमेल है किन्तु प्रवृत्ति में तानाशाही न होकर लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था है। अब तक उन्होंने लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ने का कोई संकेत तो नहीं दिया है किन्तु जिस तरह उन्होंने बिहार में लोकतंत्र को मजबूत किया उससे उनकी धारा का आभास तो होता ही है कि वे केन्द्रीयकरण और तानाशाही की लाइन के विरूद्ध हैं। उनकी सफलता की रफ्तार नरेन्द्र मोदी से कम है किन्तु लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं दिखता। मनमोहन सिंह जी त्याग भाव तो प्रमाणित कर चुके हैं किन्तु स्वयं निर्णय करने की क्षमता अभी घोषित करनी शेष है क्योंकि वे सोनिया जी की साझेदारी में काम कर रहे हैं। वैसे जिस डांवाडोल स्थिति में उन्होंने देश को बढ़ाया वह कोई साधारण काम नहीं। मनमोहन सिंह मध्यमार्गी हैं। वे न तो लोकतंत्र की तरफ झुके हैं न ही तानाशाही की ओर। सबके साथ मिल जुलकर धीरे धीरे समस्याओं के समाधान की लाइन पर बढ़ रहे हैं।

चौथी कोई लाइन नहीं है। चिदम्बर जी ने अपनी योग्यता तो प्रमाणित कर दी है किन्तु त्याग अब तक अस्पष्ट है। राहुल गांधी अभी सीख रहे हैं किन्तु जिस तरह उन्होंने समाधान हो रही नक्सलवाद की समस्या को पीछे से फिर से जिन्दा कर दिया वह उचित कदम नहीं था। मन मसोसकर ही बेचारे चिदम्बरम् और मनमोहन सिंह चुप रह गये। यदि भारत में नक्सलवाद अनियंत्रित हुआ तो उसका सारा श्रेय राहुल गांधी को जाना चाहिये जिनकी शह पर चिग्विजय सिंह जी ने यह खेल खेल लिया। बुद्ध देव जी सारी योग्यता रखते हुए भी करात जी से पिण्ड नहीं छुड़ा सके हैं। और कोई राष्ट्रीय स्तर पर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

भविष्य में क्या होगा यह पता नहीं लेकिन इतना तो पता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हैं। यदि सोंनिया जी ने धैर्य रखा, जैसी कि उम्मीद हैं, तो अभी कोई खतरा नहीं। भविष्य मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी और नितिश कुमार के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इनमें भी यदि नितिश कुमार मजबूत होकर उभरें तो हमें ज्यादा प्रसन्न होना चाहिये क्योंकि वे लोक स्वराज्य या लोकतंत्र में से ही एक का चुनाव करेंगे। मनमोहन सिंह जी हमारे दूसरे विकल्प हो सकते हैं। यदि वे लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा में ले जाने के संकेत दें तो वे भी विश्वसनीय तथा परीक्षित व्यक्तित्व हैं। यदि ये दोनों ही मार्ग संभव न हों तो नरेन्द्र मोदी तो हैं हीं। भले ही गुलामी आवे किन्तु अव्यवस्था से तो मुक्ति मिलेगीं।

इन तीनों ही मार्गो से सुशासन निश्चित है किन्तु स्वशासन निश्चित नहीं। यदि हम स्वशासन निश्चित कर लें तो सुशासन तो अपने आप हो जायेगा। सुशासन स्वशासन का निश्चित परिणाम होता है किन्तु सुशासन से स्वशासन की ओर बढ़ना कठिन हैं। हम क्यों खतरा मोल लें। यदि स्वशासन ही जड़ है तो हम सब मार्ग छोड़कर स्वशासन की ही चेष्टा क्यों न शुरू करें। यदि "एकहि साधे सब सधे" हम जानते हैं तो सब साधने की गल्ती क्यों करे। लोग कश्मीर समस्या का समाधान पूछते हैं। कुछ लोग नक्सलवाद का समाधान भी जानना चाहते हैं। यदि हम एक ही प्रयोग करें कि न्याय सुरक्षा विदेश आदि केन्द्र सरकार के पास रखकर अन्य सभी विभाग परिवार सभा से लेकर केन्द्र सभा तक को बांट दें तो न कश्मीर में कोई मांग रहेगी न नक्सलवाद में। यदि इक्के दुक्के लोग रहेंगे तो केन्द्र सरकार उन्हें बेरहमी से समाप्त कर देगी। हम पांच वर्ष तक इस विचार को मजबूत करें और चुनाव के समय देखें कि कौन व्यक्ति कौन दल इसके निकट हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह एकल साधना सभी समस्याओं का समाधान हो सकती है। हम स्वशासन के पक्ष में जनमत जागरण करें। हम स्वशासन के पक्ष में दबाव बनायें। स्वशासन का अर्थ स्पष्ट करें कि हमारा स्व शासन विकेन्द्रीयकरण न होकर अकेन्द्रीयकरण हैं। एक बार प्रयत्न शुरू करें तो परिणाम तो अपने आप दिखने लग जायेंगे।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

(1) प्रश्न– यदि संघ कुछ न भी करे तो क्या इस्लाम भी मान जायेगा? इस्लाम का उद्देश्य विस्तारवादी है और संघ का सुरक्षात्मक। ऐसी स्थिति में इस्लाम को सलाह न देकर संघ को सलाह देना कितना उचित है?

उत्तर– इस्लाम की विस्तारवादी नीतियों का प्रभाव हिन्दुत्व पर होता है। संघ तो हिन्दुत्व की सुरक्षा में है। संघ की नीतियॉ हिन्दू समाज में कभी विश्वसनीय नहीं रहीं। नीयत तक सब कुछ ठीक रहा। संघ ने हिन्दू समाज को जो मार्ग दिखाया उसके अच्छे परिणाम कभी नहीं निकले। हमें ऐसा लगता है कि अब संघ के चुप हो जाने से इस्लाम की रोकथाम के कुछ नये रास्ते निकलेंगे।

कल्पना करिये कि संघ नहीं माने तो वह कर भी क्या सकता है। नब्बे वर्षो की संघ की उपलब्धि क्या है? आज तक वह हिन्दू समाज को भी नहीं समझा सका। जबसे संघ ने राजनीति की दिशा पकड़ी है तब से तो उसकी नीयत पर भी शक होने लगा है। ऐसी स्थिति में यदि हम हिन्दू कुछ नये मार्ग तलाश करें तो संघ को बुरा नहीं लगना चाहिये। हम इस्लाम की विस्तारवादी नीतियों के घोर विरोधी हैं। हमें संघ के प्रयत्नों की सफलता तथा उसकी नीतियों तथा नीयत पर शक हैं। हम संशोधन चाहते हैं। संघ यदि ठीक समझे तो संशोधन करे और न समझे तो अपनी राह चले। हम संघ का विरोध तो नहीं कर रहे। हम तो हिन्दू समाज को नयी राह पर चलने की सलाह मात्र दे रहे हैं। हमारे सुझाव ये हैं।

(1) हम किसी भी हालत में उग्रवाद या आतंकवाद का समर्थन न करें।
(2) हम राज्य सत्ता को अपराध नियंत्रण तथा उग्रवाद आतंकवाद के विरूद्ध अधिक प्रभावी कदम उठाने हेतु सशक्त करें।
(3) हम भावनात्मक उभार की नीति छोड़कर वैचारिक टकराव की राह पकड़े। हम मन्दिर मस्जिद, गोहत्या जैसे मुद्दे छोड़ दें। इनके स्थान पर समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे आगे लावें।
(4) हम हिन्दू राष्ट्र की मांग को बिल्कुल ही दफना दें। इस मांग ने हमें नुकसान किया है।
(5) हम पूरी तरह दलगत राजनीति से दूर रहें। हमारी विश्वसनीयता किसी भी दल में संदिग्ध न हो।
(6) हमारे प्रत्येक क्रिया कलाप का एक संदेश समाज में जाना चाहिये कि हम शान्ति प्रिय लोग हैं किन्तु हम मूर्ख नहीं हैं। हम अत्याचारों का प्रतिकार करेंगे किन्तु वह प्रतिकार संघ मार्ग से न होकर अधिक ठोस और सुनियोजित होगा। हम मिलकर योजना बनाने और काम करने पर विश्वास करते हैं।

इस तरह संभव है कि या तो इस्लाम दुबारा सोचेगा अथवा वह उसी तरह अलग थलग हो जायेगा जिस तरह आज संघ अलग थलग पड़ गया है, मैं संघ को सलाह देता हूँ कि वह तत्काल पहल करके गांधी हत्या की प्रत्यक्ष निन्दा करे। साथ ही वह अजमेर ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपियों से भी दूरी बना ले। यदि यहॉ से शुरूआत हो तो मार्ग निकल सकता हैं।

(2)प्रश्न—ज्ञान तत्व दो सौ ग्यारह में गिरीश कुमार जी ने जय प्रकाश जी के संबंध में जो विचार हमारे सामने रखे उनसे जय प्रकाश जी गांधी के विचारों से भी ज्यादा स्पष्ट और सुलझे हुए लगे। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं?

उत्तर—गांधी जी मौलिक विचारक थें। उन्होंने गंभीर चिन्तन के आधार पर निष्कर्ष निकाले। गांधीजी समाज और राजनीति के सम्बन्धों पर अधिक सोचते थे। विनोबा जी इस संबंध में जो भी कहते थे वह गांधी जी से उधार लिया हुआ था। विनोबा जी समाज और राज्य के सम्बन्धों पर न सोचकर धर्म और समाज पर ज्यादा गंभीरता से सोचते थें। दोनों का अलग अलग चिन्तन क्षेत्र रहा। जय प्रकाश जी को गांधी की बात ठीक लगी। जयप्रकाश जी पूरे समय समाज और राज्य के सम्बन्धों पर ही सोचते रहे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर गांधी जी के विचारों को ज्यादा साफ किया। स्वयं सिद्ध है कि जय प्रकाश जी के विचार अधिक तर्क संगत थे क्योंकि जयप्रकाश जी ने गांधी से आगे सोचना शुरू किया। जयप्रकाश जी से भूल हुई कि वे विनोबा जी को समझाते रहे। यदि वे बहुत पहले ही कोई स्वतंत्र मार्ग ले लेते तो अच्छा होता।

मैं ऐसा मानता हूँ कि गांधी के बाद जयप्रकाश जी ने लोक स्वराज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया। अब जयप्रकाश जी से भी आगे जाने की जरूरत है। गांधी जी के नाम पर बने संगठन हमेशा ऐसी सोच के बढ़ने में बाधक रहे है आरैर जयप्रकाश जी के नाम पर बने संगठन भी बाधक ही होंगे क्योंकि ये संगठन आगे बढ़ने से हमेशा रोकेंगे।

(3)प्रश्न— श्री गिरीश कुमार जी के ज्ञान तत्व दो सौ ग्यारह के जे.पी. और लोकस्वराज्य संबंधी लेख में लिखा गया है कि अगर विकेन्द्रीकरण का मकसद जनता एवं सरकार के बीच दूरी को पाटना है और पंचायती संस्थाओं को एक ऐसे उत्प्रेरक के रूप में विकसित करना है जो निर्णय लेने से लेकर कार्यक्रम को लागू करने में लोगों की भागेदारी बढ़ाये, तो जाहिर है सिर्फ संविधान संशोधन एवं कानून से काम नहीं चलेगा। कानून बनाकर न लोगों का दृष्टिकोण बदला जा सकता है, न समाज में व्याप्त असमानता को खत्म किया जा सकता हैं और न ही राज्य सरकारों को इस बात के लिए मजबूर किया जा सकता है कि पंचायती संस्थाओं को ये हर काम सौंप दे जिन्हें ये संस्थायें बखूबी कर सकती हैं। इसके लिए कई स्तरों पर काम करना होगा जिसमें लोगों में जागरूकता बढ़ाने से लेकर विधायिका पर जन आन्दोलनों के जरिये दबाव डालना भी शामिल है। इस संबंध में आपका मत क्या है?

उत्तर— यह हमारा अज्ञान ही है कि हम संविधान और कानून का अन्तर नहीं समझते। संविधान, व्यक्ति परिवार और समाज का प्रतिनिधित्व करता है और कानून राज्य का। संविधान समाज और राज्य के बीच का द्विपक्षीय समझौता होता है। इस समझौते के अधीन ही राज्य कोई कानून बना सकता है। भूल यह हुई कि संसद को हमने समाज का प्रतिनिधि घोषित करके उसे संविधान संशोधन का अधिकार भी अपने पास रखने की छूट दे दी तथा राज्य का प्रतिनिधि मानकर कानून बनाने का अधिकार भी। संसद के पास संविधान संशोधन से लेकर कानून बनाने तक के अधिकार एक जगह इकट्ठे होने का ही परिणाम हुआ कि संसद निरंकुश हो गई। इस निरंकुशता को रोकने के लिये न्यायपालिका को असंवैधानिक पहल करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप न्यायपालिका और संसद के बीच खींचतान शुरू हुई। यदि संसद की भूमिका स्पष्ट हो जावे कि वह संविधान में समाज का प्रतिनिधित्व करे या राज्य का किन्तु वह दोनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती तो सारी खींचतान खतम हो जायेगीं या तो संसद संविधान सभा बन जावे या विधायिका मात्र तक ही सीमित रहें ।संविधान सभा का अलग प्रारूप बन सकता है। कानून से समाज बदलने की राजनेताओं की भूख बढ़ती ही जा रही हैं। इसका विरोध होना ही चाहिये। जय प्रकाश जी ने जो दीप जलाया है उस दीप को आधार बनाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये।

04प्रश्न—ज्ञान तत्व दो सौ ग्यारह में आपने भावना प्रधान और बुद्धि प्रधान के रूप में दो अलग अलग आधार दिये। पाठक वर्ग तो मिला जुला होता हैं। कोई लेखक इन दो वर्गो की अलग अलग पहचान कैसे करें?

उत्तर—यह पहचान कठिन तो है किन्तु आवश्यक होती हैं। कुछ मोटी मोटी पहचान इस प्रकार हैः—

(1) बुद्धि प्रधान व्यक्ति मौलिक सोच रख सकता है जबकि भावना प्रधान व्यक्ति मात्र अनुकरण ही कर सकता है, मौलिक सोच नहीं रखता।

(2) बुद्धि प्रधान व्यक्ति सिर्फ संचालन कर सकता है जबकि भावना प्रधान सिर्फ संचालित होता है।

(3) बुद्धि प्रधान व्यक्ति के किसी भी काम में असफल होने की संभावना कम होती है क्योंकि वह सोच समझकर निर्णय करता है। भावना प्रधान यदि स्वतंत्र निर्णय करे तो असफल होने के अवसर ज्यादा होते हैं।

(4) बुद्धि प्रधान व्यक्ति यदि सिर्फ परिवार की लाइन में बढ़े तो समाज का अधिकतम शोषण भी कर सकते हैं और त्याग भाव की ओर बढ़े तो समाज को शोषण से बचा भी सकते हैं। भावना प्रधान लोग न शोषण कर सकते हैं न शोषण से बचा सकते हैं। ये तो मात्र अनुकरण ही कर सकते हैं।

(5) हर बुद्धि प्रधान धूर्त प्रयास करता है कि समाज में भावनाओं का विस्तार हो क्योंकि भावनाओं का विस्तार उसके शोषण से सहायक होता है। बुद्धि प्रधान अच्छा आदमी चाहता है कि भावना और बुद्धि का समन्वय हो। भावना घटे और बुद्धि बढ़े।

(6) बुद्धि प्रधान व्यक्ति का कला से कोई प्रेम नहीं होता। भावना प्रधान व्यक्ति कला प्रेमी होता हैं। बुद्धि प्रधान व्यक्ति व्यसन से भी कम चिपकता है। भावना प्रधान व्यसन से अधिक चिपकता है।

(7) बुद्धि प्रधान व्यक्ति यदि व्यसन मुक्त हो तो व्यसनी भावना प्रधान की अपेक्षा कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। चाहे वह शक्ति शोषण में लगे या सामाजिक कल्याण में।

(8) गांधी जी बुद्धि प्रधान व्यक्ति थे जिन्होंने मौलिक सोच प्रस्तुत की। जय प्रकाश जी भी बुद्धि और भावना का समन्वय रखते थे। विनोबा जी भावना प्रधान अधिक थे बुद्धि प्रधान कम।

(9) वर्तमान समय में साम्यवादी बुद्धि प्रधान माने जाते हैं और सर्वोदयी या संघ परिवार के लोग भावना प्रधान। यही कारण है सर्वोदय और संघ परिवार के लोग ठगे जाते हैं। जबकि साम्यवादी ठगे नहीं जाते।

(10) भावना प्रधान मरने या मारने में आगे रहता है। बुद्धि प्रधान दोनों मे पीछे रहता है। यदि परिवार या समाज के लिये जान देने की जरूरत हो तो बुद्धि प्रधान पीछे हट जायेगा और भावना प्रधान आगे आ जायेगा।

मेरे विचार में यह निर्णय कठिन है कि बुद्धि प्रधान होना ठीक है या भावना प्रधान। क्योंकि बुद्धि प्रधान ही शोषण भी कर सकता है और शोषण से मुक्ति भी दिला सकता है। भावना प्रधान व्यक्ति के लिये बुद्धि प्रधान का पहचानना कठिन होता है कि वह शोषण प्रवृत्ति का है या शोषण मुक्ति का। बहुत देर से पता चलता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भावना और बुद्धि के समन्वय का

मार्ग ही चुनना चाहियें। जहॉ तक संभव हो भावना की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व देना चाहिये। न तो कोई व्यक्ति भावना शून्य हो सकता है न बुद्धि शून्य। फिर भी हमें चाहिये कि हम भावना प्रधान होने से बचें और बुद्धि पर भी विवेक को मजबूत करें।

5.प्रश्न—आपके विचार अत्यन्त सुलझे हुए, संक्षिप्त तथा गंभीर होते हैं। एक एक शब्द समझना पड़ता हैं। आप यह बताइये कि कोई व्यापारी सरकारी राशन को कटौती करके ब्लैक में बेच दे तथा उस गरीब को न दे जिसे देने हेतु सरकार ने उसे दिया था तो उसका यह कार्य आपकी नजर में दो नम्बर है या तीन नम्बर।

उत्तर—जो कार्य सामाजिक अपराध हैं वे तीन नम्बर में आते हैं और जो कार्य सामाजिक अपराध न होकर मात्र गैर कानूनी होते हैं वे दो नम्बर माने जाते हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार, मिलावट, कमतौल, जालसाजी, धोखाधड़ी, हिंसा, आतंक आदि अपराध माने जाने के कारण तीन नम्बर में शामिल हैं। जुआ, शराब अफीम, गांजा,आदि उपयोग करना या खरीदना बेचना, टैक्स चोरी, तस्करी, ब्लैक, वनोपज अवैध व्यापार, बालश्रम ,बालविवाह, दहेज लेना देना, घूस लेना देना (तीन नम्बर छोड़कर)आदि कार्य अपराध न होकर मात्र गैर कानूनी होने के कारण दो नम्बर के माने जाते हैं, तीन नम्बर नहीं। सरकार ने हमें जिन गरीबों को देने के लिये राशन दिया है उस तक न पहुॅचा कर बीच में बेच कर खा जाना कोई अपराध न होकर मात्र गैर कानूनी कार्य हैं। भावनात्मक आधार पर सोंचे तो यह कार्य जघन्य पाप बताया जाता है किन्तु वास्तव में न तो यह कार्य अपराध है न तीन नम्बर और नहीं जघन्य पाप।

कल्पना करिये कि आपने मेरे पास कोई सामान अमानत रखा। मैंने वह सामान किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपको भिजवा दिया जो आप तक नहीं पहुॅचा। आप उस तीसरे व्यक्ति से न तगादा कर सकते हैं न झगड़ा कर सकते हैं क्योंकि तीसरे व्यक्ति को वह सामान मैंने बिना आपसे पूछे अपने विश्वास पर दिया था। सरकार ने जो राशन दुकानदार को राशन दिया वह उन राशन पाने वालों का प्रतिनिधि मात्र था। इसलिये उसने जो भी गलत किया वह उन गरीबों के प्रति गलत न होकर सरकार के प्रति गलत था अर्थात् गैर कानूनी था जिसे हम दो नम्बर कहते हैं। वह गरीब आदमी सरकार को सूचित कर सकता है या शिकायत कर सकता है किन्तु कोई सामाजिक अपराध नहीं बनता। सरकारें अपने चमचों को लाभान्वित करने के लिये ही तो ऐसी योजनाऍ बनाती हैं और लम्बे समय तक भ्रष्टाचार के बाद जब योजना बदनाम होती है तब उसी तरह की कोई नई योजना बनाकर पुरानी योजना को बन्द कर दिया जाता है।

कल्पना करिये कि सरकार ने एक ट्रक रूपया लाकर चौराहे पर रख दिया और घोषणा कर दी कि प्रत्येक व्यक्ति एक हजार रूपया ले जावे। लोग पहले तो कई कई बार ले जाने लगे और बाद में झोले में ले जाने लगे। उसके बाद ट्रेक्टर से ले जाने लगे। सरकार का कहना है कि लोगों को चाहिये कि वे ऐसा करने वालों को रोके। प्रश्न उठता है कि क्या लोगों ने आपसे इस तरह नोट रखने के लिए कहा था जो वे दोषी माने जायें। सरकार ने अपने चमचों के कहने से नोट रखे और उसका नाम दे दिया "जनहित"। न कही जन और न कही हित"।

यह राशन व्यवस्था भी उसी का भाग है। अनेक निकम्मे लोग एक गुट बनाकर मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियंत्रण समिति आदि नाम का पंजीकरण कराते हैं और बोर्ड लगाकर सस्ता राशन सस्ता नोट आदि की मांग शुरू करते हैं। सरकारें भी वैसा ही चाहती हैं। वे तत्काल ही जनहित के नाम पर उस मांग को स्वीकार कर लेती हैं और फिर शुरू होता है भ्रष्टचार का खेल जिसकी बहती गंगा में पुलिस सहित सब लोग हाथ धोते रहते हैं और गंगा धीरे धीरे जाकर समुद्र में मिल जाती। अब आप सोचिये कि सरकार इस तरह नई नई समस्यायें पैदा करती रहे और हम उसका समाधान करते रहे । ऐसी मूर्खता हम क्यों करें । इसलिए हम लोगों ने कुछ सोच समझकर ही इन सरकार द्वारा पैदा की गई समस्याओं को दो नंबर में डाल कर उसके समाधान से अपने को अलग कर लिया है। हम अब तीन नंबर के ही विषय में सोंचते हैं।

6.प्रश्न—मंदिर ईश्वर उपासना के केन्द्र हैं या ईश्वर के निवास? मंदिरों का स्वाभाविक उपयोग क्या हैं?

उत्तर—मंदिर एक बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक स्थान हैं। भावना प्रधान लोगों के लिये वह आस्था का केन्द्र होता है और विचार प्रधान लोगों के लिये चिन्तन का। भावना प्रधान लोग उसे ईश्वर का स्थान मानते हैं और विचार प्रधान मूर्ति को सिर्फ प्रतीक मानते हैं । भावना प्रधान लोग वहॉ भजन पूजन को महत्व देते हैं तो विचार प्रधान अधिकतम शान्त वातावरण चाहते हैं। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है।

7. प्रश्न—आपने वोट के बदले नोट लेने की हिमायत की हैं क्या यह उचित है?

उत्तर— मैंने वोट के बदले नोट लेने की हिमायत नहीं की हैं। मेरा कथन यह है कि यदि आपको विश्वास हो जाय कि वोट लेने वाला व्यावसायिक प्रवृत्ति का है और वोट लेकर भ्रष्टाचार करेगा ही तो उससे वोट की कीमत ले लेना ही बु द्धिमानी है। मैंने यह बात पहली बार नहीं कही है। पचास वर्ष पूर्व भी चुनावों में मैंने यही सलाह दी थी। मैं अब भी इस मत पर कायम हूॅ।

पत्रोत्तर

(1)श्री जगदीश गांधी, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनउ , यू0पी.

विचार—आपके कुशल मार्गदर्शन में हिन्दी पत्रकारिता अपनी गौरवशाली परंपरा की मशाल बनकर सारे समाज को रोशनी दिखा रही है। सद्भाव, सहयोग व सरोकार की भावना से कार्य करते हुए आप अपने सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से समाज के सभी वर्गो के प्रति सद्भाव रखते हुए लोक और तंत्र के बीच सेतु बनकर पत्रकारिता की भूमिका को सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में आप अपने सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से समाज के बौद्धिक, सामाजिक एवं चारित्रिक गुणों के विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील रहते हुए समाज को एक नई दिशा दे रहे है। इस हेतु आप हमारी ओर से ढेर सारी बधाईयॉ स्वीकार करने की कृपा करें।

हमारा मानना है कि जब तक मानव जाति युद्धों का रास्ता त्याग करके विश्व शान्ति का मार्ग नहीं अपनाती तब तक विश्व के नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। वास्तव में विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त तथा एक मात्र केन्द्र बिन्दु बच्चे है। चाचा नेहरू को बच्चों की ऑखों में ही कल का भविष्य दिखता था। अतः आज समय आ गया है कि हम चाचा नेहरू के अति प्यारे मासूम बच्चों की पीड़ा को समझते हुए उनके सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण हेतु लगातार प्रयास करें। सी0एम.एस0 विगत पॉच दशकों से अपनी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों को भौतिक के साथ ही सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान

करते हुए उनको पूर्ण गुणात्मक व्यक्ति (टोटल क्वालिटी पर्सन) बना रहा है। वास्तव में इस तरह की संतुलित शिक्षा ही बच्चों को इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनायेगी और तभी हम कह सकेंगे किः–

हे चाचा तुम दुखी न होना यह गुलाव एक ऑधी होगा,
भारत का हर बच्चा–बच्चा नेहरू होगा गॉधी होगा।

यह नेहरू जी की ही देन रही कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद इक्यावन का समावेश हुआ जिसके अनुसार "भारत का गणराज्यः–

(ए) भारत का गणराज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (संसाद के सभी राष्ट्रों के सहयोग से) करने का प्रयास करेगा।

(बी) भारत का गणराज्य संसार के सभी राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का (संसार के सभी राष्ट्रों के सहयोग से) प्रयत्न करेगा।

(सी) भारत का गणराज्य सम्पूर्ण संसार में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने अर्थात् उसका पालन करने की भावना की अभिवृद्धि (संसार के सभी राष्ट्रों के सहयोग से) करेगा।

(डी) भारत का गणराज्य अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का हल माध्यस्थम् द्वारा कराने का प्रयास (संसार के सभी राष्ट्रों के सहयोग से) करेगा।

अनुच्छेद 51 का महत्व एवं प्रभावः–

अनुच्छेद 51 को पहले भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था, जो प्रवर्तनीय नहीं था किन्तु संविधान के 25वें संशोधन 1971 द्वारा इसकी स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन कर इसे प्रवर्तनीय बना दिया गया है। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न वादों में दिए गए निर्णयों के द्वारा भी नीति निदेशक तत्वों को और भी अधिक प्रभावशाली एवं प्रवर्तनीय बना दिया गया है, जो इस प्रकार हैः–

25वॉ संविधान संशोधन अधिनियम 1971ः–

नीति निदेशक सिद्धांत को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ही 25 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 (सी) को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि नीति निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य समाज के व्यापक हित के लिए हो तो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी प्रकार का मतभेद होने पर न्यायालय ऐसे नीति निदेशक सिद्धांतों के हक में फैसला देंगे, जो समाज के व्यापक हित में हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1973 में पारित निर्णयः–

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के एक वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय इस प्रकार हैः–

1. संविधान के भाग 4 में दिये गये नीति निदेशक सिद्धान्तों को भी उतनी ही महत्ता प्राप्त है, जितना कि मौलिक अधिकारों को । देश के सभी राज्य व प्रशासन के अंग नीति निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने के लिए बाध्य हैं।
2. नीति निदेशक सिद्धान्तों के द्वारा जनता सरकार की उपलब्धियों को माप सकती है। इसलिये सरकार को किसी कानून को बनाते समय व उसको लागू करते समय इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सिद्धान्त देश के शासन के मूलभूत तत्व है। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वे कानूनों को बनाते समय इन तत्वों को अवश्य शामिल करें।

विश्व में शांति व अमन बनाये रखने के लिए चाचा नेहरू ने दिया गुटनिरपेक्षता का सिद्धांतः–

विश्व भर के बच्चों को सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए चाचा नेहरू ने द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त शीत युद्ध के दौर से गुजर रहे विश्व में शांति व अमन बनाये रखने के लिए उपनिवेश की दासता से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को एकत्रित कर सन् 1954 में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जिसे बाद में यूगोस्लाविया के तत्कालिक राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिश्र के तत्कालिक राष्ट्रपति कर्नल गमाल अब्दुल नासिर ने अंगीकार करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। इस प्रकार नेहरू– नासिर– टीटो की पहल पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। आज विश्व के 118 अविकसित तथा विकासशील देशों को महाशक्तियों के शिविर से अलग रहकर परस्पर सहयोग से विकास करने की प्रेरणा गुट निरपेक्ष आन्दोलन से मिल रही हैं।

मानव कल्याण एवं विश्व शांति के आदर्शो की स्थापना के लिए पंचशील सिद्धांतः–

पंडित नेहरू ने "पंचशील" का सिद्धांत विश्व के समक्ष रखा। मानव कल्याण एवं विश्व शांति के आदर्शो की स्थापना के लिए 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत–चीन समझौते में सर्वप्रथम पंचशील सिद्धांत को आधार मानकर संधि की गईं। बाद में यही पंचशील की मान्यता एशियाई– अफ्रीकी और बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राजनीति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में मैत्री तथा सहयोग का आधार बनी। पंचशील के अन्तर्गत निहित पॉच सिद्धांत इस प्रकार हैः–

(1) एक–दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना

(2) एक–दूसरे के विरूद्ध आक्रामक कारवाई न करना।

(3) एक–दूसरे के आतंरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना।

(4) समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना तथा

(5) शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना।

विश्व में शांति की स्थापना के लिए सदैव प्रयासरत् रहे चाचा नेहरूः–

इसके साथ ही लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए 1931 में स्थापित राष्ट्रमण्डल को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में भी पंडित जवाहर लाल नेहरू का विशेष योगदान रहा। राष्ट्रमण्डल प्रभुता सम्पन्न 54 स्वतंत्र देशों का एक मुक्त संगठन है। राष्ट्रमण्डल सहकारिता, परामर्श और परस्पर सहयोग पर आधारित हैं। इसके साथ ही कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगों को मूर्त रूप देने जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी वे मध्यस्थ की भूमिका में रहें। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रिया और लाओस जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी ने ही महात्मा गांधी के सिद्धान्तों

पर भारत की विदेश नीति की नींव रखी थी। महात्मा गांधी ने कहा है कि **"एक दिन आयेगा, जब शांति की खोज में विश्व के सभी देश भारत की ओर अपना रूख करेंगे और विश्व को शांति की राह दिखाने के कारण भारत विश्व का प्रकाश बनेगा।**

महाविनाश की ओर बढ़ती दुनियॉः–

मानव जाति के इतिहास में आज का विश्व सबसे विकट संकट के दौर से गुजर रहा है। आज विश्व को न केवल तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के रूप में 36,000 से उपर निर्मित न्यूक्लियर बमों के जखीरे से खतरा हैं बल्कि उसे विश्व भर में व्याप्त भूख, बीमारी, हिंसा, आतंकवाद व पर्यावरण असंतुलन के बढ़ने से भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अपनी स्थापना के 65 वर्षो से संयुक्त राष्ट्रसंघ, वीटों पावर देशों के वर्चस्व के कारण आज मात्र मूकदर्शक बन कर रह गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के देशों ने विगत सदी की सबसे बड़ी तबाही से कुछ सीख नहीं ली। संयुक्त राष्ट्रचार्टर के द्वारा सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड, फ्रान्स तथा चीन को वीटो पॉवर प्रदान कर दिया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करने में आज सबसे बड़ी रूकावट बन गई हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 वीटों पॉवर की मौजूदगी में कुछ भी निष्पक्ष करने की अपेक्षा करना बेमानी होगा क्योंकि वे बाकी देशों के नागरिकों को अपनी परमाणु क्षमता के बल पर और अधिक भयभीत किये हुए है। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के नेताओं को, वीटों पॉवर देशों के प्रभाव के बिना, एकजुट होकर एक प्रभावशाली विश्व प्रशासन निर्मित करने का निर्णय लेकर विश्वव्यापी समस्याओं का हल खोजना चाहिए। एक प्रभावशाली विश्व प्रशासन के अभाव में मानव जाति की समस्यायें और अधिक भयानक रूप लेती जायेंगी।

विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बच्चे ही सबसे सशक्त माध्यम हैः–

सी0एम0एस0 का मानना है कि जब तक मानव जाति युद्धों का रास्ता त्याग करके विश्व शान्ति का मार्ग नहीं अपनाती तब तक विश्व के नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। वास्तव में विश्व को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त तथा एकमात्र केन्द्र बिन्दु बच्चे हैं। चाचा नेहरू को बच्चों की ऑखों में ही कल का भविष्य दिखता था। अतः आज समय आ गया है कि हम चाचा नेहरू के अति प्यारे मासूम बच्चों की पीड़ा को समझते हुए उनके सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण हेतु लगातार प्रयास करें। सी0एम0एस0 विगत पॉच दशकों से अपनी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के माध्यम से बच्चों को भौतिक के साथ ही सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हुए उनको पूर्ण गुणात्मक व्यक्ति (टोटल क्वालिटी पर्सन) बना रहा हैं।

आइये, चाचा नेहरू के प्यारे बच्चों को सुन्दर एवं सुरक्षित भविष्य देने के लिए हम उनके मस्तिष्क में बाल्यावस्था से ही शांति एवं एकता के बीज बोयेंः–

चाचा नेहरू के प्यारे बच्चों के भविष्य को सुन्दर एवं सुरक्षित बनाने के लिए सम्पूर्ण मानव जाति को शांति एवं एकता का मार्ग अपनाना होगा। वास्तव में तभी विश्व में केवल एक मानव धर्म होगा, एक मानव जाति होगी, सम्पूर्ण पृथ्वी एक देश तथा उसके निवासी विश्व नागरिक होंगे। और चूंकि युद्ध के विचार पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होते हैं अतः दुनियॉ से युद्धों को समाप्त करने के लिये हमें प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में बाल्यावस्था से ही उद्देश्यपूर्ण एवं संतुलित शिक्षा के माध्यम से विश्व शान्ति, विश्व एकता एवं वसुधैव कुटुम्बकम् के विचारों को बोना होगा, जिसके लिए सी0एम0एस0 विगत 51 वर्षो से प्रयासरत् हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नेहरू जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत (1) अपनी विशाल "वसुधैव कुटुम्बकम् की संस्कृति एवं सभ्यता ,(2) संविधान के "अनुच्छेद 51" तथा (3) विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने के नैतिक व संवैधानिक उत्तरदायित्व के कारण विश्व में शांति स्थापित करके सारी वसुधा को कुटुम्ब बनायेंगा। अतः चाचा नेहरू के विश्व एकता के अभियान् को पूरा करने के लिए न केवल भारत के वरन् सारे विश्व के नागरिकों को उनके जन्मदिन 14 नवम्बर (बाल दिवस) के अवसर पर विश्व संसद, विश्व सरकार तथा विश्व न्यायालय के गठन हेतु शीघ्र कदम उठाना चाहिए।

(2)प्रश्न–श्री मनोज दुबलिस , हापुड़ रोड ,मेरठ,

निष्पक्ष एवं निःस्वार्थ भाव से यदि भारतवासी सोंचे तो पायेंगे कि वर्तमान भारत में भूख, भय व बेरोजगारी तथा अराजकता का वातावरण व्याप्त है। इस बर्बादी का आखिर कारण क्या है, क्या भारतवासी स्वयं हैं या भारत की जनता पर अपना शासन कर रही कांग्रेस सरकार? सभी बुद्धिजीवी वर्ग को इसका समाधान व कारण दोनों ही खोजने होंगे। चार व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से वर्तमान भारत की वर्तमान दुर्दशा के दोषी हैं। प्रथम हैं महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को हड़ताल, घेराव, चक्काजाम, घरना, प्रदर्शन आदि की बीमारी सौंपी। दूसरे हैं पंडित नेहरू जिन्होंने कश्मीर समस्या हमारे गले में लटका दी। अब हम आजीवन उसे गले में लटकाये घूम रहे हैं। तीसरे हैं भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने जातिवादी वैमनस्य को हमारे जीवन का अंग बना दिया और चौथी रही इन्दिरा गांधी जिन्होंने भ्रष्टाचार को व्यवसाय के रूप में मान लिया। आज इन सबकी वंशज रूपी कांग्रेस इन सब समस्याओं को हम पर लादकर स्वयं पीछे से हमें धकियाते रही। आज सोनिया गांधी मनमोहन सिंह जी को इसी तरह धकिया धकिया कर सारा भ्रष्टाचार करा रही हैं। यदि आज भ्रष्टाचार का ही आकलन कर लें तो कितनी पंचवर्षीय योजनाऍ सफल हो जातीं।

भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिये ही आजकल चीन और पाकिस्तान से खतरे का हव्वा खड़ा कराया जा रहा हैं। चीन भारत से क्या और क्यों विरोध करेगा जबकि उसका सामान भारत के हर धर में धडल्ले से बिक रहा है। पाकिस्तान अपने ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। इन दोनों के नाम से भय पैदा करना अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने की चाल ही हैं।

धर्म निरपेक्षता का पाठ तो सब मिलकर हिन्दुओं को पढ़ा रहे हैं किन्तु अम्बेडकर अपने को बौद्ध, राशिद अल्बी और इमामबुखारी मुसलमान कहते रहे। क्या काशीराम मायावती ने अपने को कभी धर्मनिरपेक्ष कहा? धर्मनिरपेक्षता सिर्फ हिन्दू के लिये ही क्यों?

राजनेताओं और मीडिया कर्मियों का भी गजब का गठजोड़ हैं। सरकारें गेहूँ चावल दाल और दवा जैसी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं पर कर लगाकर गरीब जनता तक से धन निचोड़ती है तो दूसरी ओर खुले दिल से मीडिया वालों पर विज्ञापन के नाम पर धन बरसाती हैं। मीडिया सरकारों की सहायता करता है यह जग जाहिर हैं। आज तक किसी मीडिया वाले पर छापा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मीडिया तो अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ घोषित होकर लूट परिवार का सदस्य बन गया है।

मेरे विचार में इसका समाधान सिर्फ एक है कि हमारे बच्चों को नेहरू गांधी अम्बेडकर से पूर्व भारत की गुलामी का इतिहास पढ़ाया जाय। विशेष रूप से मुगलकालीन इतिहास। नेहरू गांधी अम्बेडकर काल का इतिहास तो गुलामी की ओर ले जाने

वाला है और वर्तमान यथा स्थिति का प्रशंसक इतिहास है। हमारे बच्चों को यथा स्थिति का पोषक इतिहास नहीं, परिवर्तन कारी विचारों का पोषक इतिहास पढ़ाया जाय। आशा है कि ज्ञान तत्व इस दिशा में पहल करेगा।

उत्तर—श्री जगदीश गांधी तथा श्री मनोज दुबलिस जी गंभीर विद्वान हैं। दोनों के निष्कर्ष बिल्कुल विपरीत हैं। जगदीश जी विश्वशान्ति की अधिक चिन्ता कर रहे हैं तो दुबलिस जी राष्ट्रीय अव्यवस्था को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जगदीश जी गांधी नेहरू अंबेडकर के एक पक्षीय प्रशंसक है तो दुबलिस जी इन तीनों के कटु आलोचक। जगदीश जी देश के बच्चों को आदर्श मानव की दिशा में प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो दुबलिस जी उन्हें सक्षम भारतीय के रूप में। दोनों के तर्को में दम हैं। यदि दोनों पत्र अलग अलग पढ़े जावें तो दोनों से ही पूरी सहमति बनती दिखती है किन्तु मुझे तो दोनों की एक साथ समीक्षा करनी है जो कठिन तो है किन्तु मजबूरी भी है।

स्वतंत्रता के समय अंबेडकर जी की भूमिका बिल्कुल नकारात्मक थी। उन्होंने पूरा समय या तो सत्ता के लिये तिकड़म करने में लगाया या जाति विद्वेष को हवा देने में। स्वतंत्रता के पूर्व समाज में धूर्त सवर्णो ने अवर्णो पर गुलामों जैसा जो व्यवहार किया तथा असामाजिक अत्याचार किये, उस बदनामी का लाभ अम्बेडकर जी ने उठाया और धूर्त सवर्णो की लूट में धूर्त अवर्णो को भी हिस्सेदार बना दिया। अम्बेडकर जी को प्राप्त विशेष सम्मान का आधार उनकी सामाजिक सोच न होकर सवर्णो के स्वयं के अपराध बोध के प्रायश्चित के रूप में देखा जाना चाहिये। पण्डित नेहरू की स्थिति कुछ भिन्न थी। पण्डित नेहरू राष्ट्रवाद से कुछ उपर उठकर सोचते थे जो सरदार पटेल की सोच से भिन्न थी। पंडित नेहरू की विश्व बंधुत्व की भावना कभी कभी गंभीर समस्या भी पैदा कर देती थी जैसा कि कश्मीर मामले में हुआ। पंडित नेहरू ने जिस तरह भारत में समाजवाद की एक पक्षीय आंधी बहानी चाही उसने भारत को आज तक परेशान कर रखा हैं। तानाशाही में तो राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण भ्रष्टाचार और अव्यवस्था नहीं बढ़ा पाता किन्तु लोक तंत्र में तो सरकारीकरण भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का मूल श्रोत ही माना जाता है। नेहरू जी ने लोकतंत्र और सरकारीकरण को एक साथ साधना चाहा जो संभव ही नहीं था। इसलिये उसकी अवैध संतान रूप में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का जन्म हुआ। किन्तु इसके लिये नेहरू जी की नीतियों की आलोचना तो हो सकती है किन्तु नीयत की नहीं। आज हम परिणामों को देखने के बाद जिस आसानी से उनकी नीतियों की समीक्षा कर सकते हैं उतना उस समय करना आसान नहीं था क्योंकि तब तक परिणाम आये नहीं थे। फिर भी नेहरू जी पर कोई राष्ट्र विरोधी आरोप नहीं लगाया जा सकता, नीतियॉ तो देश काल परिस्थिति अनुसार बदलती रहती हैं।

मैं यह पूरी तरह स्पष्ट हूॅ कि महात्मा गांधी ने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं किया। हड़ताल, चक्काजाम, घरना, प्रदर्शन आदि स्वतंत्रता के पूर्व के संघर्ष के हथियार थे। स्वतंत्रता के बाद इनका कोई उपयोग नहीं था। यदि कोई पिता अपने परिवार की सुरक्षा के लिये बन्दुक या पिस्तौल रखे और पिता के मरने के बाद नालायक बेटा उस हथियार का उपयोग डकैती के लिये करने लगे तो पिता बेचारा कहां गलत था। गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि स्वतंत्र भारत में सत्ता की छीना झपटी में इनका उपयोग करना हैं । अब स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी उनका दुरूपयोग कर रही है तो यह हमारा दोष है, गांधी का नहीं।

आम तौर पर कहा जाता है कि गांधी जी ने नेहरू जी को चुनकर गलत किया। मैंने भी खूब सोचा। उस समय गांधी के पास नेहरू के अलावा विकल्प क्या था? अम्बेडकर का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। राजेन्द्र बाबू बहुत भले आदमी थे। जयप्रकाश जी मार्क्सवाद से प्रभावित थे। ले देकर बचते थे नेहरू और पटेल। पटेल केन्द्रीयकरण के समर्थक थे। वे तो बालिग मताधिकार के भी विरूद्ध थे और सीमित मताधिकार ही देना चाहते थे जो मेरी राय में पूरी तरह गलत होता। मैंने गुरूदत्त के सीमित मताधिकार के पक्ष का साहित्य खूब पढ़ा है। यदि अच्छे लोग ही वोट देते तो सारे धूर्त अच्छे का प्रमाण पत्र ले लेते क्योंकि उन्हें प्रमाण पत्र देने वाला महाधूर्त ही होता। तब क्या होता? क्या पद्धति होती अच्छा आदमी चयन की। पटेल कुछ मामलों में नेहरू से ठीक थे किन्तु कुछ अधिक महत्वपूर्ण मामलों में पटेल नेहरू की अपेक्षा कम गंभीर थे। मैं यह कह सकता हूॅ कि पटेल आवश्यकता से अधिक राष्ट्रवादी थे और नेहरू संतुलित थे। मेरे विचार में स्वतंत्रता के बाद यदि सबसे बड़ी भूल हुई तो वह दो बार संघ परिवार से हुई। नेहरू, अम्बेडकर पटेल आदि की भूलों का आंशिक प्रभाव पड़ा किन्तु संघ परिवार की दोनों भूलें ज्यादा गंभीर हैं। पहली भूल हुई गांधी हत्या का विरोध नहीं करने से। गांधी से वैचारिक विरोध और समर्थन भिन्न बात है और गांधी हत्या भिन्न। संघ ने गांधी हत्या के विरोध से स्वयं को दूर रखा जिसका यह संदेश गया कि संघ गांधी हत्या का समर्थक हैं। आज तक संघ उस भूल को सुधार नहीं रहा। दूसरी भूल संघ ने की कि उसने अभिनव भारत प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं की निन्दा न करके फिर से स्वयं को आतंकवाद समर्थकों के साथ जोड़ लिया। अजमेर ब्लास्ट और अक्षरधाम मंदिर ब्लास्ट को मुसलमान चाहे जिस तरह देखे किन्तु आम हिन्दू तो समान आतंकवाद ही मानता है। फिर से संघ नेतृत्व ने बेमतलब उसे अपने गले में डाल लिया। मेरे विचार में संघ अनेक ठीक काम करते हुए भी आतंकवाद के मामले में जिस इस्लामिक मार्ग पर चल रहा है वह उसे कही का नहीं छोड़ेगा।

आप दोनों ने समाधान स्वरूप बच्चों को इतिहास पढ़ाने की बात कही है। जगदीश जी ने बच्चों को संविधान की शिक्षा देने की बात कहीं है तो दुबलिस जी ने मुगलकाल के इतिहास की शिक्षा की। मेरे विचार में बच्चों में शिक्षा के साथ साथ ज्ञान विस्तार की जरूरत है। संविधान तो स्वयं में समस्याओं की जड़ है। भारत में संविधान का शासन हैं। राजनीति और राजनीतिज्ञ संविधान संचालित हैं। संविधान राजनेताओं की मनमानी को रोकने में विफल है। भारत का संविधान लोक नियुक्त तंत्र व्यवस्था को लोक नियंत्रित तंत्र व्यवस्था में बदल ही नहीं पा रहा। इसके विपरीत नेता लोग ही अपनी इच्छा अनुसार संविधान में संशोधन कर लेते हैं। कार्य पालिका न्यायपालिका और विधायिका की आपसी अधिकार छीना झपटी को संविधान रोक नहीं पा रहा। अब संविधान पढ़ने पढ़ाने की नहीं, उसकी समीक्षा की आवश्यकता हैं। बच्चों को संविधान के गुण दोष बताये जायं जिससे वे स्वयं कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। बच्चों को मुगलकालीन इतिहास तक केन्द्रित करना भी उचित नहीं। इस्लामिक अत्याचारों की कहानियॉ सुनाने की अपेक्षा उन्हें आदर्श हिन्दुत्व क्यों न बताया जाय? ऐसे एक पक्षीय मुगल कालीन इतिहास ने ही संघ से जुड़े बच्चों के मस्तिष्क में संतुलन समाप्त कर दिया है। अब ऐसी हालत से बचना चाहिये।

मैं चाहता हूॅ कि बच्चों की शिक्षा परिवार व्यवस्था गांव व्यवस्था को राज्य व्यवस्था की गुलामी से मुक्ति की जरूरत पढ़ाई जाय। परिवार व्यवस्था गांव व्यवस्था यदि स्वावलम्बी होगी तो अनेक बुराइयां स्वयं ही दूर हो जायेंगी। परिवार और गांव से बढ़ते बढ़ते हम राष्ट्र और विश्व व्यवस्था का ज्ञान बच्चों में भरें। सभी इकाइयां अपनी अपनी सीमा में स्वायत्त हों। न तो परिवार विश्व व्यवस्था में हस्तक्षेप कर सके न ही विश्व व्यवस्था परिवार व्यवस्था में। राष्ट्र कुछ मामलों में स्वायत्त हो और कुछ मामलों में विश्व व्यवस्था के साथ। ऐसी शिक्षा देने की जरूरत मैं समझता हूॅ।

(3) नरेन्द्र सिंह,बनबोई,बुलन्दशहर(उ0प्र0) –245411–09012432074

मुनि जी! मैं व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न परिस्थितियों में संगठन शैली के प्रमाण एवं लाभ–हानि के विषय में आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। तथा पत्र के माध्यम से अपने विचार भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि कम ही सही इस विषय में मेरी धारणा भी आपके सामने स्पष्ट हो सके।

आपके संपर्क में आने से पहले मैं समाज में यत्र–तत्र प्रदर्शित संगठन के भाव को दिव्य लक्षण की तरह मानता था। क्योंकि मेरा यह मानना रहा था कि समाज में समय समय पर पनपने वाली विभिन्न समस्याओं के विरूद्ध बनने वाले संगठन अपने आप में आदर्श होते है। व्यक्तियों के जीवन पर जिनका प्रभाव अत्यन्त सकारात्मक होता है। लेकिन इस विचार के साथ यह तथ्य भी मन में रहता था कि समाज की विषम परिस्थितियों में पनपा कोई भी संगठन अक्सर अल्प समय तक ही संगठन की मर्यादाओं के अनुसार कार्य करता है। अन्यथा उस संगठन के नेतृत्व कर्ता, संगठन की शक्ति को निहित स्वार्थो में प्रयोग करने से नहीं चूकते। मानो कि यह उनकी पैतृक सम्पत्ति हो। देश में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक तथा व्यवसायिक संगठनों के नेतृत्व –कर्ताओं की यही कार्य शैली होती है। समाज की शक्ति से जीवन पाने वाले लेकिन समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को नकारने वाले यें विभिन्न प्रकार के संगठन, समाज का शोषण करने के अतिरिक्त और कुछ नही करते। ... तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? क्या इनके समानांतर इनका विरोध करने वाले अन्य संगठन खड़े किये जाये। लेकिन यह तर्क तो युक्ति संगत नहीं लगता। क्योंकि समाज में सदैव से ऐसा ही तो होता आ रहा हैं। सामाजिक समस्याओं का उपचार करने के लिए बनने वाले ऐसे संगठन खुद समस्याओं तथा विभिन्न प्रकार की बुराईयों से ग्रस्त हो जाते है। और फिर ये समाज का अलगाववादी वर्गीकरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पातें।

ऐसे में मुझे आपके चिंतन से यह अनुभूति हुई कि सामाजिक समस्याओं का निवारण समाज में बनने वाले संगठनों के बिना भी संभव है। क्योंकि आपके विचारों में जरा भी संगठनात्मक शैली का पुट नहीं होता। लेकिन तब भी वे प्रभावी सिद्ध होते हैं। मैंने इसे जानने का प्रयास किया तो यह विश्लेषण प्राप्त हुआ कि समस्याहीन समाज को किसी भी प्रकार के संगठन की आवश्यकता नहीं होती। यह समाज की प्रकृति ही होती है कि वह परस्पर सम्बन्धों के आधार पर जीवित रहता है न कि संगठनों से उर्जा पाकर। और इस तर्क के सापेक्ष मेरा यह विचार है कि समाज में जहॉ कहीं भी अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के संगठनों के नेतृत्व कर्ताओं के अधीन रहते हैं वे लोग वास्तव में अत्यन्त निम्न स्तर के होते हैं और वे लोक व्यवस्था का दुरूपयोग ही करते हैं। .... वास्तव में समाज से समस्याओं का निराकरण तो विचार भाव को बढाने देने से सहजतापूर्वक किया जा सकता हैं। हॉ समाज में विचार भाव को बढ़ावा देने वाले लोगों को, स्वयं को समाज का नेतृत्वकर्ता नहीं मानना चाहिए। ऐसा होते ही तो समाज में अनावश्यक संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। इसका उपचार आपके इस चिंतन से तो प्राप्त होता नजर आता है जिसमें आपने लोगों को मिल बैठकर चिंतन करने की तो सलाह दी थी लेकिन अपना निष्कर्ष सार्वजनिक करने के लिए मना किया था। क्योंकि निष्कर्ष पर पहुॅचने के बाद व्यक्ति प्रतिक्रियावादी बन जाता हैं। जिससे समाज में फैली पूर्व की समस्या का तो पतन नहीं होता हॉ वह प्रति क्रियावाद समाज में नया विरोधाभाष अवश्य पैदा कर देता हैं। हमें ऐसी परिस्थिति से स्वयं एवं समाज को बचना ही होगा। ..... मेरा तो ऐसा मानना हैं आगे आपसे मिलने वाले मार्गदर्शन से जैसा भी फल प्राप्त होगा।

अन्त में ईश्वर से आपके लंबे स्वास्थ्य की कामना के साथ आपको सादर प्रमाण।

उत्तर' – आपने जो लिखा वह बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें कोई और संशोधन की आवश्यकता अभी नहीं है। 25 दिसम्बर को बैठेंगे तो और चर्चा होगी ही। जब समाज में आम लोगों को असुरक्षा महसूस होती है तब वे संगठनों की ओर झुकते हैं । ऐसे संगठन मजबूतों से सुरक्षा देते हैं किन्तु वहीं संगठन कालान्तर में कमजोरों का शोषण करने लगते हैं। यदि राज्य सुरक्षा देने लग जाय तो संगठन अपने आप कमजोर होंगे और यदि नहीं होंगे तो उनकी विश्वसनीयता खतम हो जायेगी। वर्तमान समय में संगठन बनाना शोषण का भी पर्याय है और सुरक्षा का भी।

(4) श्री राधा कृष्ण गेरा, अशोक विहार, दिल्ली।

प्रश्न– ज्ञान तत्व 209 पढ़ा और विस्तार से जानकारी मिली। अनाज आदि के बारे में जो लिखा है, उसमें कुछ विषमता प्रतीत होती है। विधायका , कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों का भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र हैं । उनको एक साथ जोड़ कर उनकी कार्य समीक्षा नहीं की जा सकती । विधायका का कार्य क्षेत्र है नीति निर्धारण और वांछित परिणाम की समीक्षा करना। उसमें उचित संशोध आवश्यक हो तो करना।

कार्यपालिका को कार्य निर्धारित नीति का कार्य पूरा करना और कार्य शैली की रूपरेखा आदि बनाना। नीति लागू करना व फल स्वरूप परिणाम का नीति से समन्वय करना। अनाज का रख रखाव आदि श्री शरद पवार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि कितना अनाज खरीदना है, उसका रख रखाव उचित वितरण और भंडारण क्षमता अनुसार खरीदना आदि आदि ताकि किसान को उपज का उचित दाम मिले और उपभोक्ता को भी आवश्यकता अनुसार उचित दामों पर अनाज मिलता रहें। इस में श्री शदर पवार पूर्णरूपेण जिम्मेवार हैं । न्याय पालिका का सुझाव केवल उचित अनाज का प्रयोग का है। धन व माल की हानि होने से अच्छा है कि जरूरतमंद BPLश्रेणी के लोगों को कम दामों में बेचा जाय।यह न्यायालय की सलाह मात्र ही हैं। जोकि आम आदमी (नागरिक) सोचता है। इसमें अनुचित क्या है। यदि वितरण, भण्डारण और कृषि मत्रालय अलग कर दिये गए तो समन्वय कार्य का अभाव होगा। दोनों मंत्रालयों का टकराव होता रहेगा।

उत्तर– मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूॅ। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का मुख्य दायित्व तो मंत्री शदर पवार का ही बनता हैं। उसमें यदि अव्यवस्था होती है तो न्यायपालिका सलाह दे सकती है। और यदि मंत्रिमंडल उसकी भी अनदेखी करें तो अन्तिम निर्णय जनता का होता है। अनाज संबंधी नीति बनाने और लागू करने में न्यायालय को अन्तिम निर्णय करने की कोशिश अनाधिकार चेष्टा है जिससे बचना चाहिये क्योंकि वह नीतिगत निर्णय है। और नीति बनाने का कार्य न्यायपालिका का न होकर सिर्फ विधायिका का है। यदि नीति संविधान के विपरीत हो तो न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। किंतु यदि संविधान सम्मत है तो भले ही वह नीति जनहित के विरूद्ध की क्यों न हो किन्तु न्यायपालिका उसमें सलाह ही दे सकती है, आदेश नहीं।

बाहर से आने वाले पैसे का विवरण :–

6.	Deenanath Verma Tagore Nagar,Raipur(CG)	100/–
7.	जवाहर लाल नेहरू पॉलिटेक्निक, महबुबाबाद, सीतापुर	100/–
8.	अशोक कुमार जैन, छत्तरपुर,म0प्र0	100/–
9.	पंकज गोयल, नोयड़ा, उ0प्र0	1100/–
10.	प्रेम नारायण क्षवर,इंदौर,म0प्र0	100/–
11.	डॉ0 राम सुमन पाण्डेय,सिरमौर चौराहा,रीवा म0प्र0	100/–